



Rajasthan RERA

राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उधोग भवन,
तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005

फोन नं. - 0141-2851900 वेबसाइट - <http://rera.rajasthan.gov.in/>

क्रमांक : F.6(107)RJ/RERA/RTI/2019/ 1666

जयपुर दिनांक : 27-3-2023

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक F.6(107)RJ/RERA/RTI/2019/12508 दिनांक: 9-9-2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी के अधीन निम्नांकित अधिकारियों को सूचना का अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया था:-

क्र०सं०	राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम/फोन नं०	राज्य लोक सूचना अधिकारी का कार्यक्षेत्र
1	श्री अर्पित संचेती, संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रोजेक्ट) 0141-2851909	प्रोजेक्ट से संबंधित प्रकरणों की सूचनाओं हेतु
2	श्री हरिश चन्द्र हर्ष, सहायक रजिस्ट्रार (शिकायत) 0141-2851928	शिकायतों से संबंधित प्रकरणों की सूचनाओं हेतु
3	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, उप रजिस्ट्रार (विधि) 0141-2851931	अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों की सूचनाओं हेतु

उपरोक्त अधिकारीगणों में से क्र० सं० 3 पर अंकित श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, उप रजिस्ट्रार, (विधि) वर्तमान में रेरा से कार्यमुक्त हो चुके हैं।

अतः श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर श्री सी०एल०माली, अभियोजन अधिकारी, 0141-2851903 को रेरा कार्यालय में अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों की सूचनाएं प्राप्त होने वाले आवेदनों के निस्तारण हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

Sd
(रमेश चन्द्र शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान रेरा,
जयपुर, दिनांक :

क्रमांक : F.6(107)RJ/RERA/RTI/2019/

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर।
- 2- प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राज० जयपुर।
- 3- शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर।
- 4- सचिव, राजस्थान राज्य लोक सूचना आयोग, जयपुर।
- 5- श्री सी०एल०माली, राज्य लोक सूचना अधिकारी (अभियोजन अधिकारी) राज० रेरा, जयपुर।
- 6- संयुक्त निदेशक, IT सेल, राज० रेरा को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश राजस्थान रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने के पश्चात इसे RA वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराके पालना रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करें ताकि अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रेरा को अवगत कराया जा सके।

Sd
(रमेश चन्द्र शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान रेरा,